न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 10 / 2016 तारीख रजू :–08.03.2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

...........आवेदक

बनाम

दुर्ग सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह राजपुरोहित निवासी ओम रत्नेश्वर जोधपुर मिष्ठान भण्डार बहरावण्डा खुर्द थाना जिला सवाई माधोपुर

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 22/2/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपेन्द मिश्रा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 14.05.2015 को समय 01.30 पी.एम पर मैसर्स ओम रतनेश्वर जोधपुर मिष्ठान भण्डार बहरावण्डा खुर्द थाना खण्डार जिला सवाई माधेपुर पर पहुंचा वहां पर दुर्ग सिंह पुत्र शंकर सिंह राजपुरोहित निवासी मैसर्स ओम रत्नेश्वर जोधपुर मिष्ठान भण्डार बहरावण्डा खुर्द थाना खण्डार जिला सवाईमाधोपुर उपस्थित मिला। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया जहाँ विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ लस्सी एक डीप फ्रिजर में स्टील के बर्तन में लगभग 5 लीटर दुकान में रखा हुआ था के मानक स्तर का नहीं होने का शक हाने पर विक्रेता से खाद्य रजि0 पत्र/ खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञा पत्र मौके पर नहीं होना बताया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ लस्सी 2000 ग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 200/– रूपयें नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये तथा तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए [illegible] 04 कॉच के जार में बराबर बराबर डाल कर प्रत्येक जार में 40–40 बूंदे फॉर्मेलीन [illegible] प्रत्येक जार को बंद कर चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया गया तथा प्रत्येक नमूना भाग को [illegible] अभिहित अधिकारी सवईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच– 632 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया । प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:09 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौक पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकार हस्ताक्षर करवाये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म न0 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूनाा सील .लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म न0 6 की अलग से सील्ड लिफाफें में पत्रवाहक ओम प्रकाश पूर्विया वार्ड बॉय द्वारा खाद्य विश्लेष्क कोटा को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गयी। दो सील बनद नमूना भाग माय फार्म न0 6 की प्रति के आउटर कवर मं सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमाकं एफएसएसए/2015/1791 दिनांक 04.06.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एफएसएल/कोटा/ 2015/483 दिनांक 28.05.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ लस्सी अनसेफ हाना पाया गया है। तत्पश्चात विक्रेता द्वारा जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने पर अभिहित अधिकारी के समक्ष रेफरल प्रयोगशाला में उक्त लस्सी का नमूना जो अनसेफ प्रकृति का पाया गया था कि दुबारा जांच करवाने के लिये फार्म नं0 8 में आवेदन किया। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2015/2738 दिनांक 22.09.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद से प्राप्त जांच सर्टि0 न0 **594/Sep/15-Raj** के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय कियाा गया खाद्य पदार्थ लस्सी सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने खाद्य पदार्थ लस्सी सबस्टेण्डर्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें जयपुर, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र स्वीकर कर अभियुक्त के विरूद्ध अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से श्री प्रीतम सिंह एड0 ने वकालतनामा पेश किया।अभियुक्त ने जरिये वकील नोटिस का जवाब पेश किया।अभियुक्त के एड0 को बहस के लिये तीन बार अवसर देने पर भी बहस हेतु न्यायालय हाजा में बहस नहीं की गयी अत मेरिट के आधार पर पूर्व में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही बहस माना गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ लस्सी का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2)(।।) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त ने अपने जवाब में [illegible] अनुज्ञा पत्र मौके पर दिखाया था तथा मौके पर कोई जार से सेम्पल नहीं लिया गया। तथा सेम्पल की जॉच सेम्पल लेने के 15 दिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:09 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

बाद की गई तब तक सेम्पल खराब हो गया था तथा उसका तय मानक पर आना संभव नहीं था। अन्त में प्रार्थी ने लस्सी के सेम्पल भरने को अपने विरूद्ध एक झूठे अभियान के तहत भरा जाना बताकर प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही को समाप्त करने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक गाजियावाद से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सर्टि0 न0 594/Sep/15-Raj दिनांक 08–09–2015 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया खाद्य पदार्थ लस्सी सबस्टैण्डर्ड पाया गया है, जिसका विक्रय कर खाद्यकारोबार कर्ता एवं विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा अधीनियम की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टैण्डर्ड(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ लस्सी का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व मानक नियम व विनियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 30,000/–रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/2/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:09 IST
Reason: SelfAttested